राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– ढण्ढेला

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस.)

वाद सं0 : 45 सन 2018

अनवान :–

1. रोहिताश पुत्र राजेन्द्र जाति जाट साकिन राजपूरिया तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र बनारीलाल जाति जाट साकिन राजपूरिया तहसील नोहर।
2. सरोज पुत्री राजेन्द्र जाति जाट साकिन राजपुरिया तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

अर्जीदावा इश्तकरार हक स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री मागेंराम गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 16.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत '' (न्याय आपके द्वार – 2018'') में पेश कर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 288/285 की 0.506हैक राजेन्द्र के नाम 1/2 हिस्सा खाता संख्या 291/284 की 1.1385हैक खाता संख्या 259/202की 0.506हैक में राजेन्द्र के नाम 1/6 हिस्सा, खाता संख्या 226/225 की 12.9030हैक में से राजेन्द्र के नाम की 60 हिस्सा , चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 113/108 की 1.2650हैक में राजेन्द्र के नाम 1/2 हिस्सा , चक 1 आरएमएस के खाता संख्या 9/11 की 4.3010हैक में से राजेन्द्र के नाम की 36–2/3 हिस्सा चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 57/57 की 2.0240हैक में से राजेन्द्र के नाम की 1/2 हिस्सा चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 52/54 की 2.6160हैक में से राजेन्द्र के नाम की 1/6 हिस्सा तथा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 131/123 की 3.0370हैक में से राजेन्द्र के नाम की 1/8 हिस्सा भूमि है उक्त भूमि वादी के दादा बनवारीलाल के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 वादी की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हक में त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिब के हकदार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत – 2018 कैम्प कोर्ट में पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 स्वय उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 को मेरे साथ बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने निवेदन किया की उसके द्वारा अपने हकों का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया ।

हमने वकील वादी की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा बनवारीलाल के नाम से दर्ज थी वादी के दादा बनवारीलाल के देहान्त होने के बाद वाद भूमि विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि वादी के दादा के देहान्त होने पर विरास्तन से दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है पैतृक सम्पति में हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है जिसकी न्यायालय से धोषणा करवाने का वादी अधिकारी है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्रि है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उनके द्वारा अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादी व प्रतिवदी संख्या 1 ,

के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा स्वीकार कर लिया है वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा स्वीकार करने के कारण वाद वादी काबिज डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टॉम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी का वाद साक्ष्य सबुतों /प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 288/285 की 0.506हैक राजेन्द्र के नाम 1/2 हिस्सा खाता संख्या 291/284 की 1.1385हैक खाता संख्या 259/202की 0.506हैक में राजेन्द्र के नाम 1/6 हिस्सा, खाता संख्या 226/225 की 12.9030हैक में से राजेन्द्र के नाम की 60 हिस्सा , चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 113/108 की 1.2650हैक में राजेन्द्र के नाम 1/2 हिस्सा , चक 1 आरएमएस के खाता संख्या 9/11 की 4.3010हैक में से राजेन्द्र के नाम की 36–2/3 हिस्सा चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 57/57 की 2.0240हैक में से राजेन्द्र के नाम की 1/2 हिस्सा चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 52/54 की 2.6160हैक में से राजेन्द्र के नाम की 1/6 हिस्सा तथा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 131/123 की 3.0370हैक में से राजेन्द्र के नाम की 1/8 हिस्सा भूमि है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– अखेर रूप्ये पांच हजार का स्टॉम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगें। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक दालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–ढण्ढेला

पर्चा डिक्री

(आडॅर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट–ढण्ढेला

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. रोहिताश पुत्र राजेन्द्र जाति जाट साकिन राजपूरिया तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 राजेन्द्र पुत्र बनारीलाल जाति जाट साकिन राजपूरिया तहसील नोहर।

2. सरोज पुत्री राजेन्द्र जाति जाट साकिन राजपुरिया तहसील नोहर।

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 45 सन 2018 निर्णय दिनांक– 16.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 288/285 की 0.506हैक राजेन्द्र के नाम 1/2 हिस्सा खाता संख्या 291/284 की 1.1385हैक खाता संख्या 259/202की 0.506हैक में राजेन्द्र के नाम 1/6 हिस्सा, खाता संख्या 226/225 की 12.9030हैक में से राजेन्द्र के नाम की 60 हिस्सा , चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 113/108 की 1.2650हैक में राजेन्द्र के नाम 1/2 हिस्सा , चक 1 आरएमएस के खाता संख्या 9/11 की 4.3010हैक में से राजेन्द्र के नाम की 36–2/3 हिस्सा चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 57/57 की 2.0240हैक में से राजेन्द्र के नाम की 1/2 हिस्सा चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 52/54 की 2.6160हैक में से राजेन्द्र के नाम की 1/6 हिस्सा तथा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 131/123 की 3.0370हैक में से राजेन्द्र के नाम की 1/6 हिस्सा भूमि है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– अखेर रूप्ये पांच हजार का स्टॉम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक अदालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–ढण्ढेला